

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

उद्यान विभाग

Email Id:- npnbgarden@gmail.com

क./उद्यान/न.नि./2023/५९१

भिलाई,दिनांक २५/९/2023

// रुचि की अभिव्यक्ति (तृतीय ऑफर) //

रुचि की अभिव्यक्ति के तहत नगर पालिक निगम, भिलाई में नेहरू नगर पूर्व जीम उद्यान (जी.ई.रोड के किनारे) में नास्ता सेंटर, चौपाटी केन्द्र 05 वर्षों के लिए खोलने हेतु भिलाई के सम्मानित नागरिकों, महिला स्व-सहायता समूह एवं पंजीकृत संस्थाओं (EOI) जो में उल्लेखित शर्तों की अर्हता रखते हो एवं कार्य करने के इच्छुक हो से रुचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत ऑफर दिनांक 08.06.2023 को सायं 05:00 बजे तक मुहरबंद लिफाफे में वित्तीय ऑफर आमंत्रित किया जाता है। इस कार्य के लिए धरोहर राशि रु. 10,000.00 मात्र की किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का कार्यपालन अभियंता, (उद्यान) नगर पालिक निगम, भिलाई एवं आवेदनकर्ता के संयुक्त नाम पर एफ.डी.आर. तथा राशि रु. 2,000.00 मात्र का डी.डी. आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई के नाम पर देय हो एवं समूह, संस्था की स्थिति में पेनकार्ड की छायाप्रति, अन्य दस्तावेज स्वहस्ताक्षरित तथा 100/- के नॉन जुडिशिल स्टाम पर शपथ पर हो नोटरी से सत्यापित हो, लिफाफा "अ" में एफ.डी.आर. एवं लिफाफा "ब" में, ऑफर दरें एवं दोनो लिफाफा एक बड़ा लिफाफा "स" में डालकर कार्य का नाम, प्रेषक का नाम सहित कार्यपालन अभियंता, उद्यान विभाग नगर पालिक निगम, भिलाई सुपेला कक्ष कं. 47 के पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करना होगा, अन्य माध्यम मान्य नहीं होगा। प्राप्त ऑफर दिनांक 09.06.2023 को प्रातः 11:00 बजे खोली जावेगी। अन्य जानकारी नियम एवं शर्तें नगर पालिक निगम भिलाई के वेबसाईट www.bhilainagarnigam.com व संचालनालय की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in एवं चीप की वेबसाईट eproc.cgstate.gov.in से देखी जा सकती है।

टीप:- निविदाकर्ता को लिफाफा के उपर कार्य का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना आवश्यक है।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

चौपाटी सेंटर, नेहरू नगर, जीम उद्यान

नगर पालिक निगम, भिलाई में केन्द्र 5 वर्षों के लिए (नियम शर्तें लागू) स्वयं के रोजगार/व्यवसाय करने का एक सुनहरा मौका नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा निगम क्षेत्र में निवासरत् आम नागरिकों, महिला स्व-सहायता समूहों, पंजीकृत संस्थानों को प्रदान करना चाहती है (जिसमें महिला स्व-सहायता समूह को प्रथम प्राथमिकता दी जावेगी)। जिसके अंतर्गत इच्छुक आवेदक नेहरू नगर में रोड किनारे जीम उद्यान के (अन्दर या बाहर जैसा भी निगम द्वारा आदेशित) स्वयं के व्यय से निगम द्वारा जारी नक्शा अनुसार 8 फुट X 10 फुट आकार के लोहे की स्टॉल एवं सामने 8' रोड शेड जिसमें ग्राहकों की बैठक व्यवस्था हो अस्थायी स्थापित कर प्रतिबंधित व्यवसाय को छोड़ विभिन्न राज्यो या विभिन्न प्रकार के नास्ता/पेय पदार्थ इत्यादि का अपना व्यवसाय कर सकते है। इस हेतु निगम पृथक से कोई भुगतान नहीं करेगी। इसके आवेदन के लिये निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित किया गया है:-

1. दिनांक 28-6-2023 को 5-07-2023 बजे तक लिखित प्रस्ताव स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से दर आमंत्रण किया जाता है। विस्तृत नियम-शर्तें एवं उद्यानों की सूची कार्यालय, उद्यान से प्राप्त किया जा सकता है अथवा कार्यालय नगर पालिक निगम की वेबसाईट www.bhilainagarnigam.com व संचालनालय की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in एवं चीप की वेबसाईट eproc.cgstate.gov.in में देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है।
2. दरदाता को तीन लिफाफा पद्धति में प्रस्ताव देना होगा, लिफाफा 'अ' में निर्धारित अमानत राशि रु. 10,000.00 का एजेंसी एवं कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई के संयुक्त नाम से एफ.डी.आर. (किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक) एवं राशि रु. 2000.00 मात्र का किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक का डी.डी. आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के नाम से हो तथा टेक्निकल बीड (आवेदक का रजिस्ट्रेशन, शपथ पत्र, व्यक्ति का पहचान पत्र व वर्तमान निवास पता संबंधी दस्तवेज, पेनकार्ड (निजी व्यक्ति के लिये अनिवार्य नहीं) एवं हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारी का अधिकार पत्र। लिफाफा 'ब' में वित्तीय बिड (दर) तथा लिफाफा अ, व को एक बड़ा लिफाफा 'स' में भरकर प्रस्तुत करना होगा। सभी लिफाफा के ऊपर स्पष्ट शब्दों में कार्य एवं उद्यान का नाम एवं अ, ब, स, का उल्लेख होगा। अमानत राशि में शासन द्वारा छूट प्राप्त का नियम लागू रहेगा।
3. प्रस्ताव स्वीकृत की सूचना पश्चात् 7 दिनों के भीतर इकरारनामा करना होगा। इकरारनामा न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई द्वारा प्रस्ताव निरस्त किया जा सकेगा। अनुबंध की स्थिति में कार्यादेश के पश्चात 1 माह के अंदर संचालन, प्रारंभ करना होगा।

क्रमशः - 02

सामान्य नियम-शर्तें:-

1. ऑफर दाताओं से अपेक्षा की जाती है, कि 1.पेय पदार्थ ठंडा/गर्म/आईसकीम, 2.साउथ इण्डियन नास्ता, 3.नार्थ इण्डियन नास्ता, 4.चायनिजा, 5.मिलेट से निर्मित नास्ता का स्टॉल लगाकर किसी एक प्रकार का व्यवसाय करना होगा।
2. एक व्यक्ति/संस्था एक स्टॉल एक प्रकार के नास्ता के लिये आवेदन कर सकता है।
3. स्टॉल हेतु विद्युत व्यवस्था एवं विद्युत देयक भुगतान एजेंसी (दरदाता) को करना होगा। निगम अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा।
4. यह कार्य 5 वर्षों के लिए आमंत्रित है। प्रथमतः एक वर्ष के लिए अनुबंध किया जावेगा, तत्पश्चात सफलता पूर्वक कार्य संपादन करने पर क्रमशः अधिकतम चार बार एक-एक वर्ष के लिए पुनः अनुबंध कर नवीनीकरण किया जा सकेगा। अनुबंध नवीनीकरण करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के पास सुरक्षित होगा।
5. नवीनीकरण के 2 माह पूर्व आवंटन एवं नवीन दर प्रस्तुत करना होगा, दर की स्वीकृति निगम प्रदान करेगी यह दर 10% से अधिक ना हो। इसमें आयटम कम/ज्यादा किया जा सकेगा।
6. स्टॉल का संचालन शासन/जिला प्रशासन/निगम प्रशासन द्वारा निर्धारित समय तक ही खुली रहेगी। उसके पश्चात् के लिए किसी भी प्रकार की कार्यवाही के लिये स्वयं उत्तरदायी होगा।
7. अनुबंध अवधि के दौरान केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगरीय निकायों तथा नगर पालिक निगम द्वारा प्रचलित एवं समय-समय पर लागू की जाने वाले नियमों, अधिनियमों, आदेश, निर्णय, संकल्पों का पालन करना होगा।
8. प्रथमतः 5 स्टॉल रखने का प्रावधान किया गया है जिसमें निम्ना व्यवसाय में से एक व्यवसाय ही प्रत्येक स्टॉल में होगा अन्य व्यवसाय प्रतिबंधित होगा
 - A) पेय पदार्थ ठंडा/गर्म/आईसकीम इत्यादि प्रतिबंधित पेय नहीं।
 - B) साउथ इण्डियन नास्ता।
 - C) नार्थ इण्डियन नास्ता।
 - D) चायनिजा नास्ता
 - E) मिलेट निर्मित नास्ता




9. श्रम कानूनों का पूर्णतः पालन अनुबंधकर्ता एजेंसी को करना होगा तथा उनके कर्मकारों कर्मचारियों के प्रति निगम की कोई जवाबदारी व दायित्व नहीं होगा। लेबर एक्ट श्रम कानून का पालन व जवाबदारी अनुबंधकर्ता एजेंसी की होगी।
10. कचरा निपटान के लिये स्टॉल के आसपास सुखा-गीला कचरा के लिये निर्धारित अनुसार व्यवस्था करना होगा। कचरा निगम द्वारा लिया जायेगा जिसका नियमानुसार भुगतान एजेंसी स्वयं रहेगी।
11. यह ध्यान रखा जायेगा की उद्यान में भ्रमण के लिए आने वाले नागरिकों को वहीं पर किसी भी प्रकार का अवरोध न हों।
12. वाहनों की पार्किंग कतार बद्ध हो यह अनुबंधकर्ता से सुनिश्चित करना होगा।
13. आवेदन द्वारा लिफाफा 'ब' में कंडिका 8 में उल्लेखित अनुसार व्यवस्था का नाम एवं वहां विक्रय किये जाने वाले पदार्थ को प्रति आयटम का दर देना होगा। जब भी इसी स्वीकृत आयटम से भिन्न आयटम विक्रय करना होगा ऐसी स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई से दर/आयटम की स्वीकृति उपरांत हो विक्रय किया जा सकेगा।
14. नियमानुसार स्टॉल का गुमास्ता लायसेंस एवं होटल का कोई भी अनुमति संबंधित विभाग से लायसेंस यदि आवश्यक हो तो विक्रय प्रारंभ पूर्व लेना अनिवार्य होगा।
15. स्टॉल 8'x10'=80 वर्गफुट में आंबटित को स्वयं के व्यय से निगम द्वारा निर्धारित नक्शा मापदण्डों पर अस्थायी बनाना होगा। स्टॉल के सामने 8' चौड़ाई ग्रहकों की सुविधा बैठक व्यवस्था के लिये शेड बनाया जा सके निगम द्वारा निर्धारित नक्शा मापदण्डों अनुसार। सभी स्टॉलों का स्थापना, नाम पट्टिका, आदि निगम द्वारा निर्धारित एवं उनके मार्ग दर्शन अनुसार होगा, यह बन्धनकारी होगा।
16. प्रत्येक स्टॉल के लिए जमीन का किराया रू. 5000/- राशि निर्धारित है। परन्तु आवेदक स्टॉल की जमीन किराये में कमी/अधिक दर अपने निविदा (EOI) में दे सकेगा। अधिकतम दरदाता की स्वीकृति करते हुए स्टॉल हेतु स्थल प्रदाय किया जाये गया।

21/11/23

6

//04//

17. चौपाटी सेंटर हेतु निगम के दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से नियमानुसार ऋण की व्यवस्था की जावगी।
18. अनुबंधकर्ता एजेंसी के द्वारा कार्य के संबंध में कोई भी दावा व वाद के लिये आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अतिम होगा। न्यायालयीन वाद की स्थिति में वाद का क्षेत्र दुर्ग रहेगा।



नोडल अधिकारी

DAY- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
नगर पालिक निगम भिलाई